

9  
2021/11

Form No-111

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम ..... रायसिंहनगर

बनाम सरकार

किसा गुकदमा 136 एल आर एक्ट

सुरक्षा

नम्बर 251 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 785

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
<p><u>21/11/21</u></p>	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>शुभा</u>            रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/<u>344</u>            दिनांक <u>21/11/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग            अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>सुरक्षा</u>            में प्रार्थी के नाम चक <u>125A</u> की जमाबंदी सम्बत  <u>2025-2028</u> के खाता सं. <u>112</u> में <u>सुरक्षा</u>  <u>डा. शावना जाति कावरी डा 34MP कोटवा</u>  <u>एन 9572</u>            के स्थान पर <u>सुरक्षा डा. शावना जाति कावरी</u>  <u>डा-34MP कोटवा एन 9572</u>            की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं।            प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प            कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार            दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति            जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब            तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा            के आधार पर वाके चक <u>125A</u> तहसील            रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2025-2028</u>            के खाता सं. <u>112</u> में <u>सुरक्षा डा-शावना</u>  <u>जाति कावरी डा-34MP कोटवा एन 9572</u>  <u>कावरी</u> के स्थान पर  <u>सुरक्षा डा-शावना जाति कावरी डा</u>  <u>34MP कोटवा एन 9572</u>            की दुरुस्ती करने            के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी            अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय            का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।            पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।            आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
सुरक्षा

